दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 12-06-2025

कथित लव जिहाद

विधिवत शादी होने तक सखी सेंटर में रहने भेजी गई युवती

बिलासपुर | कटघोरा के युवक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हाई कोर्ट की मध्यस्थता समिति ने बुधवार को रिपोर्ट दी। बताया कि युवती अपने परिजनों के साथ जाने को तैयार नहीं है। वह युवक के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन उन्होंने कोलकाता में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार शादी नहीं की है। कोलकाता में युवक के धर्म के अनुसार शादी की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने कोलकाता में हुई शादी को अवैध ठहराते हुए युवती को सखी सेंटर भेजने को कहा है। हालांकि कहा है कि दोनों बालिग हैं। चाहें तो स्पेशल मेरिज एक्ट के अनुसार शादी कर सकते हैं। कटघोरा की एक कॉलेज छात्रा मामला 21 अप्रैल 2025 को कॉलेज जाने के बाद लापता हो गई थी। परिजनों ने तलाश के बाद कटघोरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच में पता चला कि युवती को तौशीफ मेमन के साथ कोलकाता में देखा गया। वहां कथित रूप से मस्जिद में उसका निकाह कराया गया। पुलिस ने दोनों को कोरबा लाकर पूछताछ की। शुरुआत में युवती को तौशीफ के घर भेजा गया। बाद में हिंदू संगठनों के हस्तक्षेप पर उसे पहले सखी केंद्र और फिर शक्ति सदन कोरबा में रखा गया। इधर, तौशीफ ने खुद को युवती का पति बताते हुए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई।